रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-239995 CG-DL-E-03112022-239995

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4881]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

No. 4881]

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5100(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, प्रतापगढ़ (NH330) के कि.मी 42 से 53 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

7282 GI/2022 (1)

अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH330 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	मुख्या राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH330 के कि.मी. 42 से 53 तक	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	सदर	1       भुपियामऊ         2       पुरे बाछिल         3       सराय बहेलिया         4       कोहड़ा         5       कुसुमी         6       गोपालापुर         7       परसरामपुर         8       सैय्या बांध         9       जोगापुर         10       पुरे पितई         11       पुरेनरसिंह भान         12       बलीपुर         13       सहोदरपुर         14       भेलाघाट         15       पटखौली         16       रंधीरपुर चिलबिला         17       सोनावां         18       गोण्डा         19       श्री कांतपुर         20       जहनईपुर         21       रूपापुर	

फा. सं. CE-RO/LKO/NH-330/LA/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

**S.O.** 5100(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 42 to 53 of Pratapgarh (NH330) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH330 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Chief Revenue Officer,Pratapgarh ()	42KM To 53KM	UTTAR PRADESH	PRATAPGARH	Sadar	1 Bhupiyamau 2 Pure Bachhil 3 Saray Baheliya 4 Kohda 5 Kusumi 6 Gopalapur 7 Parasrampur 8 Saiya Bandh 9 Jogapur 10 Purepitai 11 Pure Narsingh Bhan 12 Balipur 13 Sahodarpur 14 Bhelaghat 15 Patkhauli 16 Randhirpur Chilbila 17 Sonava 18 Gonda 19 Shrikantpur 20 Jahnaipur 21 Rupapur

[F. No. CE-RO/LKO/NH-330/LA/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director